फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती गणु बाई | बनाम | विपक्षी श्री भूरालाल व अन्य
किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम | | पत्रावली संख्या 65/23

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 20.03.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 3 अनुपस्थित। आवाज दिलवाई गई। अत अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 3 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रकरण मे विपक्षी संख्या 4 द्वारा जवाब पेश नही किया गया। पर्याप्त समय दिया जा चुका है। अत विपक्षी संख्या 4 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण मे अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैतृक भूमि होकर हमारे पिता जी रामा जी के वक्त से चली आ रही है। रामा जी का निधन हो चुका है जिनके तीन पुत्रीया प्रार्थीया एव विपक्षी मोतीबाई, गुड्डीबाई एवं चार पुत्र भोलीराम, भूरालाल, पृथ्वीराज, मानमल वारिश हुए जिसमे से भोलीराम का भी निधन हो गया जिसकी पत्नी दोली एव तीन पुत्रीया मनोहरीबाई, नकतरी बाई, उदी बाई एव तीन पुत्र हजारीलाल, प्रतापलाल जगदीश है। प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात के खातेदार मृतक श्री रामा पिता मेघा की भूमि विरासत से प्रार्थीया एव विपक्षी स. 1 से 3 एव वाद मे प्रतिवादी संख्या 4 से 6 एवं मृतक भोलीराम के बजाय प्रतिवादी संख्या 7 से 13 मे हिस्सा बराबर से निहित हुई ओर इसी अनुसार हक हिस्सा संयुक्त कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है लेकिन उक्त भूमि वाद वर्णित हिस्से अनुसार प्रार्थीया एव विपक्षी स. 1 से 3 एव वाद मे प्रतिवादी संख्या 4 से 6 एवं 7 से 13 के नाम खातेदारी हक से अंकित नही हुई है जिससे विपक्षी संख्या 1 से 3 प्रार्थीया के हक अधिकारो को चुनौती देते हुये उक्त भूमि से प्रार्थीया को बेदखल करने व भूमि को हस्तान्तरित करने की धमकी दी है जिससे प्रार्थीया द्वारा विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराये जाने का निवेदन किया। प्रकरण मे विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नही किया गया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में रामा पिता मेघा खातेदार है। प्रार्थीया खातेदार रामा पिता मेघा की पुत्री है जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया का हक हिस्सा निहित है। प्रार्थीया का प्रार्थनाग्रस्त भूमि मे हिस्सा मुल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि से बेदखल करने व प्रार्थनाग्रस्त भूमि के हस्तान्तरित होने का कथन कहा हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि मे प्रार्थीया का हित निहित हैं जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि की मौके व रेकर्ड की स्थिति के परिवर्तन से बचने के लिये विपक्षी को पाबन्द किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा नारायणपुरा पटवार हल्का बडगांव तहसील तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2078–81 की परिशिष्ट (क) की खाता संख्या नया 371 की आराजी नम्बर 1003 से 1005, 1007, 1009 से 1011, 1016, 2090 से 2094, 2098, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 863, 864, 865 किता 23 रकबा 5.3400 है. भूमि, परिशिष्ट (ख) की खाता संख्या नया 372 की आराजी न. 2083, 20[illegible] कुल किता 6 रकबा 3.4100 है. भूमि, परिशिष्ट (ग) की खाता संख्या नया 373 [illegible] न. 2107, 2116 कुल किता 2 रकबा 1.8600 है. भूमि, परिशिष्ट (घ) की [illegible] 374 [illegible] आराजी न. 1008, 1017 कुल किता 2 रकबा 0.0800 है. भूमि, परिशिष्ट [illegible] की खाता सं[illegible]या 375 की आराजी न. 1006, 1283, 859, 869, 870, 871 कुल किता 6 [illegible] परिशिष्ट (छ) की [illegible] संख्या नया 433 की आराजी न. 388, 389, 392, [illegible] 398, 399, 400, 40[illegible] किता 11 रकबा 1.2000 है. भूमि में विपक्षी मूल वाद के निस्तारण [illegible] तक मौके एवं राज[illegible] की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:19:35 IST
Reason: SelfAttested